प्रेषक,

रविशंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा,मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजंहापुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 24 अगस्त, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम(जिला योजना-एस0सी0पी0) हेतु अनुदान। (अनुदान सं0-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-115/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-एससीपी/2020-21, दिनांक 22 जुलाई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/ सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी निवेश योजना चलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 138.72 लाख के सापेक्ष रू0 69.36 लाख (रूपये उन्हतर लाख छतीस हजार मात्र) **संलग्न विवरण के अनुसार** श्री राज्यपाल सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए ही व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से दवाओं/सामग्री आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानको के अनुसार किया जायेगा।

(5) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

.....2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/ पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(7) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगे।

(8) प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ऑकडो के शुद्ध एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(11) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघो के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबंधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर शासन को द्वितीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) गत वित्तीय वर्ष 2018-19 व 19-20 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-**''2404-डेरी विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना)-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक- 24 मार्च, 2020 की व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2020/ 615(1)/53-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

....3/

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।

4- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महा लेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।

11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।

12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3

14- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।

15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।

16- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

17- समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ को उनके पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.15 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2020/615/53-2-20-2(38)/15, दिनांक 24 अगस्त 2020 का संलग्नक

जिला योजना (एस0सी0पी0) धनराशि लाख रू0 में

क्र0सं0	जनपद	आहरण वितरण अधिकारी/ निवर्तन अधिकारी का पदनाम	प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	दु0विअ0 आगरा	1.08465
2	मैनपुरी	उप दु0विअ0 मैनपुरी	0.10209
3	मथुरा	दु0विअ0 आगरा	2.14726
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	0.68252
आगरा मण्डल			**4.01652**
5	अलीगढ़	दु0विअ0 आगरा	1.41743
6	हाथरस	-तदैव-	0.31330
7	एटा	-तदैव-	0.26338
8	कासगंज	-तदैव-	0.25847
अलीगढ़ मण्डल			**2.25258**
9	झॉसी	उप दु0विअ0 झॉसी	0.59656
10	ललितपुर	-तदैव-	0.55940
11	जालौन(उरई)	उप दु0विअ0 जालौन(उरई)	0.15978
झॉसी मण्डल			**1.31574**
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	0.11014
14	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	0.01183
13	बॉदा	उप दु0वि0अ0 बॉदा	0.11516
15	चित्रकूट(कर्बी)	-तदैव-	0.90387
चित्रकूटधाम मण्डल			**1.14100**
16	लखनऊ	दु0विअ0 लखनऊ	7.06274
17	रायबरेली	-तदैव-	0.62481
18	हरदोई	-तदैव-	0.33640
19	उन्नाव	-तदैव-	0.61323
20	सीतापुर	-तदैव-	1.10454
21	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपरु-खीरी	1.16529
लखनऊ मण्डल			**10.90701**
22	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	1.91133
23	बदॉयू	-तदैव-	2.45684
24	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0 पीलीभीत	0.12178
25	शाहजहॉपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहॉपुर	1.04767
बरेली मण्डल			**5.53762**
26	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	9.16626
27	बागपत	-तदैव-	0.90856
28	गाजियाबाद	-तदैव-	0.52553
29	हापुड़	-तदैव-	0.14099

....2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30	गौतमबुद्धनगर(नोएडा)	-तदैव-	0.73461
31	बुलन्दशहर	-तदैव-	1.91224
मेरठ मण्डल			**13.38819**
32	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	0.79506
33	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	0.75375
34	शामली	-तदैव-	0.12532
सहारनपुर मण्डल			**1.67413**
35	मुरादाबाद	उप दु0विअ0 रामपुर	1.94626
36	सम्भल	-तदैव-	0.91248
37	अमरोहा	-तदैव-	0.65833
38	रामपुर	-तदैव-	0.24310
39	बिजनौर	-तदैव-	0.91309
मुरादाबाद मण्डल			**4.67326**
40	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	2.04322
41	चन्दौली	-तदैव-	0.76747
42	गाजीपुर	-तदैव-	0.18708
43	जौनपुर	-तदैव-	0.30812
वाराणसी मण्डल			**3.30589**
44	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0.24140
45	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर	1.16691
46	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	0.11749
विंध्याचल मण्डल			**1.52580**
47	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0 गोरखपुर	2.23560
48	महराजगंज	उप दु0वि0अ0 महराजगंज	0.04697
49	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	0.27540
50	कुशीनगर	-तदैव-	0.05208
गोरखपुर मण्डल			**2.61005**
51	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	1.85695
52	संतकबीरनगर	-तदैव-	0.06399
53	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	0.01963
बस्ती मण्डल			**1.94057**
54	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0 आजमगढ़	1.71900
55	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	0.00998
56	बलिया	-तदैव-	0.40292
आजमगढ़ मण्डल			**2.13190**
57	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज	1.77790
58	कौशाम्बी	-तदैव-	0.16934

.....3

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

59	फतेहपुर	-तदैव-	0.48507
60	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	0.22288
प्रयागराज मण्डल			**2.65519**
61	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	1.02808
62	कानपुर देहात	-तदैव-	0.20348
63	फर्रूखाबाद	-तदैव-	0.38993
64	कन्नौज	-तदैव-	0.47982
65	औरैया	-तदैव-	0.06877
66	इटावा	-तदैव-	0.12755
कानपुर मण्डल			**2.29763**
67	अयोध्या	उप दु0वि0अ0 अयोध्या	1.75485
68	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	0.99854
69	सुल्तानपुर	-तदैव-	0.38512
70	अमेठी	-तदैव-	0.38505
71	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या	1.38841
अयोध्या मण्डल			**4.91197**
72	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	1.38469
73	बलरामपुर	-तदैव-	0.15733
74	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहराइच	0.07720
75	बहराइच	-तदैव-	1.45573
देवीपाटन मण्डल			**3.07495**
कुल योग			**69.36000**

(रू0 उनहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र)

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।